26/2/2021	वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार नेकल नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.23 17:22:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारी :– देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0	आर.सी.एम.एस	तारीख रजू
41 / 1998	1998 / 00003	22.04.1998

ठाकुर जी श्रीनाथ जी वाके वजीरपुर दरवाजा वहार करौली जरिये मौहतमिम एवं नैक्सड फ्रेण्ड सेठ शिवदयाल पुत्र गोरी लाल जाति महाजन निवासी करौली

वादीगण

बनाम

यादव वाटी गोशाला करौली जरिये

1.अतवलसिंह पुत्र चन्दर सिंह जाति राजपूत निवासी ट्रक यूनियन करौली (अध्यक्ष)

2.मंत्री रामगोपाल पुत्र भरोसी जाति ब्रा0 निवासी कलक्ट्रेट चौराहा करौली।

3.रामभरोसी शर्मा पुत्र पन्ना जाति संजोगी ब्रा0 निवासी बजीरपुर गेट के बाहर करौली– सदस्य

प्रतिवादीगण

बादपत्र हुक्म इम्तनाई दवामी व हटाये जाने निर्माण

निर्णय

दिनांक 26.02.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मंदिर द्वारा वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि ठाकुरजी श्रीनाथ जी वाके विराजमान मंदिर श्री नाथजी वजीरपुर गेट के पास सेठो की बगीची करौली शाश्वत नावलिग है और हम वदीगण बसन्तलाल व रामकुमार राठी ठाकुरजी की पूजा सेंवा राग भोग का इन्तजाम करते है यह मुकदमा वादी ठाकुरजी के हित में वहैसियत मौहतमिम व नैक्सड फ्रेण्ड पेश किया जा रहा है। आराजी खसरा नम्बर 4607,4608,4623, कस्वा करौली वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसकी जमाबन्दी पेश की जा रही है। आराजी खसरा नम्बर 4610 रकवा 3.00 वीधा 0.13 विस्वा से प्रतिवादी यादववाटी गौशाला का कोई लेना देना नही है गौशाला के प्रबन्धक ताकत वाले व सहजोर किस्म के आदमी है और जवरन वादी का नावालिग व कमजोर होने का फायदा उठाकर अपनी जमीन में मिलाने पर उतारू होक रहे है उन्होने विवादित खसरा नम्बर 4610 मे से कुछ हिस्से को दवाते हुए दुकाने व पीछे पाटौर आदि बनाने का कार्य शुरू कर दिया है और जवरन वादी की जमीन को दबाते हुए दनादन निर्माण कार्य कर रहे है मुझ वसन्तलाल व रामकुमार राठी ने मना किया से साफ इन्कार कर दिया और कहा कि हम तो और जमीन दबायेगे व इसी प्रकार निर्माण करेगें इसलिए वादी प्रतिवादी को हुक्म इम्तनाई दवामी पाबन्द करने का मुस्तहक है कि वह आराजी खसरा नम्बर 4610 में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें ना किसी से करावें जो निर्माण कार्य प्रतिवादीगण द्वारा वादी की जमीन को दबाते हुए कर लिया है उस हिस्से से निर्माण को हटाते हुऐ कब्जा वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। अन्त में दावा वादीगण ड्रिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावावादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी न02 के विरूद्ध दिनांक 16.05.1998 को उपस्थित नही आने पर एकपक्षीय कार्यवाही के ओदश [illegible] व 3 के विरूद्ध दिनांक 09.01.2001 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश [illegible]

साक्ष्य एकपक्षीय वादी मे वादी शिवदयाल [illegible] कराये गये एवं दस्तावेजो सवूत में नकल [illegible] 2055 प्रदशे 1 वे मौके रिपोर्ट प्रर्दश 2 को प्रदर्शित करा[illegible] है और साक्ष्य वादी समाप्त की गई ।

प्रतिवादी न01 वे 3 की ओर से दिनांक 09.01.2001 को [illegible]के विरूद्ध पारित एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त कराने का आवेदन दिनांक 08.10.2020 को प्रस्तुत किया गया जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.23 17:22:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कि दिनांक 21.12.2020 को आंशिक स्वीकार कर प्रतिवादी न01 व 3 को अंतिम वहस में अपना पक्ष व रखने की अनुमति वकील प्रतिवादीगण को दी गयी।

वहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का वहस मं कथन है कि वादग्रस्त आराजी वादी मंदिर ठाकुर जी श्रीनाथ जी विराजमान बजीरपुर गेट के पास सेठों की वगीची करौली के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसमें खसरा नम्बर 4610 के कुछ हिस्से को दवाते हुये प्रतिवादीगण ने दिनांक 11.04.1998 को जवरन दुकाने व पीछे पाटौर आदि निर्माण कार्य प्रारम्भ कर कर लिया है जबकि प्रतिवादीगण का भूमि से कोई सम्बन्ध नही है वादी मंदिर शाश्वत नावलिग है वादी मंदिर का मोहतमिम व नेकस्ट फ्रेण्ड है। वादी का मंदिर के विपरीत कोई हित नही है। वादी मंदिर भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अनाधिकार निर्माण को हटवाने एवं भूमि में निर्माण नही करने को पाबन्द कराने का अधिकारी और प्रतिवादीगण से वादी दखल पाने का हकदार है वादी ने अपने दावा के समर्थन में वादी शिवदयाल राठी का बयान कराकर व जमाबन्दी सम्ब 2052 से 2055 प्रस्तुत कर सावित किया है निर्माण खसरा नम्बर 4610 में दुकाने व पाटौर होना मौके रिपोर्ट प्रर्दश 2 तहसीलदार करौली से सावित है। प्रतिवादीगण द्वारा इसके विपरीत कोई साक्ष्य मौखिक व दस्तावेजी प्रस्तुत नही की है मंदिर भूमि में प्रतिवादीगण को निर्माण करने का हक नही है दावा वादी मंदिर ड्रिकी किया जावें।

वहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया।

पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2052 से 2055 प्रदर्श 1 व मौका रिपोर्ट दिनांक 25.06.2019 नायव तहसीलदार करौली प्रदर्श–2 का अवलोकन किया गया। जमाबुन्दी प्रदर्श–1 में भूमि वादी मंदिर के खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 4610 रकवा 3 वीघा 13 विस्वा कस्वा करौली दर्ज है मौके रिपोर्ट प्रर्दश–2 में दुकाने शोरूम व बना होना व चार गह पाटौर पोश बनी होना एव शेष भूमि खाली होना जिसमें ववूल की झाडिया खडी होना दर्ज है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी शिवदयाल पी.डब्लू.–1 ने भूमि मंदिर के खातेदारी व कब्जे की होना एवं प्रतिवादीगण द्वारा भूमि खसरा नम्बर 4610 को दवाते हुऐ प्रतिवादीगण द्वारा अवैध निर्माण जवरन करना बताया है जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत कर कर नही किया गया जिसके वादग्रस्त आराजीयात वादी मंदिर खातेदार काश्तकार होना प्रभावित है वादी मंदिर शाश्वत नावालिग है जिसकी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा किया गया निर्माण अवैध है प्रतिवादीगण का निर्माण अतिचारी है। जिसे हटाया जाना व प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना व वादी मंदिर को निर्माण हटाया जाकर कब्जा प्रतिवादीगण से दखल करा कर दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है दावा वादी मंदिर ड्रिकी किये जाने योग्य है।

अतः दावावादी विरूद्व प्रतिवादीगण ड्रिकी किया जाता है प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह खसरा नम्बर 4610 रकवा 3 वीघा 13 विस्वा कस्वा करौली पटवार हल्का नम्बर 09 तहसील करौली में किसी तरह की मदाखलत मजाहमत वादी के कब्जे में नही करे ना कराये एवं कोई निर्माण कार्यवाही करें ना करावें।

प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 4610 में किये गये निर्माण [illegible] वादीगण को कब्जा भूमि पर वापिस सम्भलवायें।

तदादनुसार पर्चा ड्रिकी जारी [illegible] अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.23 17:22:23 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Scanned with CamScanner